न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 2,गाजियाबाद
पीठासीन अधिकारी- श्री महफूज अली एच.जे.एस.

सत्र वाद सं० 1616/2011
सरकार बनाम अयूब
मु०अ ०स० 870/2009
अन्तर्गत धारा-302,201 भा.द.स.
थाना- मसूरी,जिला-गाजियाबाद

निस्तारण प्रार्थनापत्र 18 ख.

प्रार्थनापत्र **18 ख अन्तर्गत धारा-319 Crpc.** पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया ।

प्रार्थनापत्र 18 ख. अन्तर्गत धारा- 319 द.प्र.स.अभियोजन पक्ष/राज्य की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में तीन साक्षी -पी.डवलू.1 डा०जितेन्द्र कुमार पोस्टमार्टम करने वाले, पी.डव्लू.2 वादी सुलेमान तथा पी.डव्लू.3 मरियम परीक्षित हो चुके हैं । तथ्य के साक्षी वादी सुलेमान व मरियम हैं। वादी सुलेमान ने अपनी तहरीर तथा बयान धारा-161 सी.आर.पी.सी. में तथा अपने बयानों के मुख्य परीक्षा में बताया है कि मृतक शबनम की हत्या उसके परिवार वाले ताऊ व चाचा जिनमें 1- ताहिर हुसैन पुत्र मौहम्मद अली, 2-तालिब पुत्र मौ० अली, 3- साहिर पुत्र मौ० अली है,ने सम्पत्ति के लालच में की थी,जिनको विवेचक द्वारा अभियुक्त नहीं बनाया गया है,अतः अभियुक्तगण को धारा-319 सी.आर.पी.सी. के तहत तलब किये जाने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की ।

अभियुक्त पक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया,किन्तु उनकी ओर से कोई आपत्ति इस पर प्रस्तुत नहीं की गयी ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह मामला केवल अभियुक्त अयूब के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये आरोप-पत्र पर विचारण में है तथा अभियुक्त पर दिनाँक-09-04-2012 को अन्तर्गत धारा-302,201 भा.द.स. के आरोप विरचित किये गये हैं,तत्पश्चात् अभियोजन साक्षीगण--पी.डवलू.1 डा०जितेन्द्र कुमार , पी.डव्लू.2 वादी सुलेमान तथा पी.डव्लू.3 मरियम परीक्षित हो चुके हैं । इसी स्तर पर यह प्रार्थनापत्र अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य एवं धारा-319 द.प्र.स. के विधिक स्थिति का अवलोकन किया ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य(2010)2 सुप्रिम कोर्ट केसेज(दाण्डिक)355 के पैरा–54** में अवधारित किया गया है कि,विधि का यह सुस्थापित नियम है कि न्यायालय,अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी करते समय प्रथम दृष्टया यह देखना चाहिए कि उन अभियुक्तों को भी सम्मन किया जाना चाहिए जिनके विरूद्ध पत्रावली पर साक्ष्य हो और उस स्तर पर उन अभियुक्तों को सुनने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ।

अतः इस स्तर पर प्रस्तावित अभियुक्तगण को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है।

धारा-319 द.प्र.स. की विधिक स्थिति इस प्रकार है-

319. (1) जहाँ किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि

किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है। कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है,वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिये जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता,कार्यवाही कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहाँ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार,गिरफतार या समन किया जा सकता है।

(3) **को**ई व्यक्ति जो गिरफतार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है,ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए,जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है,जाँच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरूद्ध किया जा सकता है।

(4) जहाँ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपधारा-(1)के अधीन कार्यवाही करता है,वहाँ-

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा;

(ख) खण्ड(क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति या जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था जिस पर जाँच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

अब हम पत्रावली पर आये साक्ष्य का अवलोकन करते हैं-'

उल्लेखनीय है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट ,वादी सुलेमान द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र 156(3)द.प्र.स. के आधार पर दर्ज हुई है, जो कि मृतका शबनम के नाना सुलेमान वादी द्वारा दर्ज करायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट उल्लखित किया गया है कि,मेरी धेवती की हत्या -ताहिर हुसैन पुत्र मौहम्मद अली,तालिब पुत्र ताहिर हुसैन,
साहिर पुत्र मौहम्मद अली निवासीगण-ग्राम बहरामपुर,बाढली थाना-बाबूगढ जिला-गाजियाबाद ने सम्पत्ति के लालच में की है तथा मार कर लाश बम्बे में फैंक दी गयी है,ताकि हत्या का आरोप शबनम के ससुराल वालों पर आ सके।

यही तथ्य वादी सुलेमान ने न्यायालय में अंकित हुए अपने बयानों की मुख्य परीक्षा में भी इस प्रकार कथन किया है," शबनम(मृतका) के पिता माहिर की मृत्यु बिजली के पकड़ने से हुई थी। माहिर के भाइयों ने उसके बच्चों को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। माहिर के हिस्से में लगभग 13 बीघा जमीन खेती की आती थी। मेरे दामाद माहिर के भाई ताहिर,साहिर,तालिब उस जमीन को हड़पना चाहते थे तथा उसके बच्चों को मार पीट कर घर से निकाल दिया था। दि० 06-07-2009 को डबारसी के बम्बे में शबनम की लाश मिली थी। मेरी धेवती की हत्या ताहिर हुसैन,तालिब व शाहिर ने सम्पत्ति के लालच में गला घोंट कर की थी। "

दूसरी तथ्य की साक्षी मरियम है,इस साक्षी ने शबनम की लाश को कपड़े देखकर पहचानने की बात कही है,यह साक्षी मृतका की मामी है।

प्रस्तुत मामले में वादी सुलेमान,मुख्य साक्षी एवं घटना का वादी है, जिसने न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपितु अपने मुख्य परीक्षण में भी अभियुक्तगण-ताहिर,शाहिर व तालिब का नाम मृतका की हत्या किये जाने में स्पष्टतया लिया है। प्रथमदृष्टया अभियुक्तगण--ताहिर,शाहिर व तालिब
को धारा-302,201 भा.द.स. के अपराध के लिये विचारण हेतु तलब किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र 18 ख. अन्तर्गत धारा–319 सी.आर.पी.सी. स्वीकार किया जाता है,अभियुक्तगण––ताहिर,शाहिर व तालिब,निवासीगण–बहरामपुर बाढली,

थाना–बाबूगढ़ को धारा–,302,201भा.द.स. के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हों।

पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनाँक–02–08–2017 को पेश हो।

(महफूज अली),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 2,गाजियाबाद।

दिनाँक- 19-07-2017